


25-11-22 पत्रपत्नी पेश हुई, अधिष्ठात्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा
 26-11-22 पत्रपत्नी पेश हुई, अधिष्ठात्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

26/11/22

पत्रपत्नी पेश हुई, अधिष्ठात्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा
 विपक्षीय अनुषंग उनके रुका-रूक कर आवाजे लगवारी गयी, अनुषंग 22 से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं, अधिष्ठात्री की एकतरफा बहस सुनी गयी, प्रस्तुत साक्ष्य रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कार्यनाम अन्तर्गत धारा 212 विरुद्ध विपक्षी सं. 1 व 2 व 13, 14 स्वीकार कर आदेश दिए जाते हैं कि गुम सबलपुरा प. ह. रामपुरिया PLR निम्नांकित जातान तादसील करेडा जिला मीलवाग की आठ नं 348, 349, 352 से 364, 366, 375 से 379, व 698/364 किताना 22 रुकबा 43 बीघा 000 बिन्वा (43.00) की विपक्षी सं. 1 व 2 मूल कांड के निम्नार्थक तक बिना विभाजन रहें, वय बसोश द्वारा अंतरित व आरित नही करे व उपयोग उपभोग में बाधा नारित नही करे

<p>तारीख हुकम</p>	<p>न्यायलय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेडा (मिलवाडा)</p> <p>उपखंड 57/15 उपखंड हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज कोर्ट के द्वारा जारी की गई</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>विपत्ती सं 14 विपत्ती सं 192 द्वारा इमतावेज पेजीशन हेतु पेश होने पर पेजीशन नहीं करे। विपत्ती सं 192 व 13 व 14 को भी म्याची निषेधात में बाधित किया जाता है, प्राची को उसकी कच्चे सुजा आराजिपात के उपयोग - उपयोग में बाधा कारित नहीं करे। पत्रावली केसल सुमार लेकर दर्ज नम्बर से कुमहे। पत्रावली मुलावा के साथ प्रलग्न हो। निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेडा </p>	